

सं०सं०-03/यो०सं०क०-48/2023/..... 13

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 18.01.2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उप योजना के अन्तर्गत हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन योजना के संचालनार्थ केन्द्रांश मद में रु० 167.59 लाख तथा राज्यांश मद में रु० 111.08 लाख अर्थात् कुल रु० 278.67 (दो करोड़ अठत्तर लाख सडसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उप योजना अन्तर्गत हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग विभागों एवं हितधारकों से समन्वय स्थापित कर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना है जिसमें महिलाएँ के पक्ष में सामाजिक परिवर्तन सम्भव हो पाये तथा महिलाएँ अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत सम्बल उप योजना अन्तर्गत हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन योजना के संचालनार्थ केन्द्रांश मद में रु० 958.14 लाख (नौ करोड़ अठावन लाख चौदह हजार) तथा राज्यांश मद में रु० 638.76 लाख (छः करोड़ अडतीस लाख छियत्तर हजार) अर्थात् कुल रु० 1596.90 (पंद्रह करोड़ छियानवे लाख नब्बे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 63 दिनांक 21.06.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में रु० 167.59 लाख तथा राज्यांश मद में रु० 111.08 लाख अर्थात् कुल रु० 278.67 (दो करोड़ अठत्तर लाख सडसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	CSS Code	SLS Code	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
केन्द्रांश की राशि					
1	मिशन शक्ति (सामर्थ्य)- हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन (विपत्र कोड - 51-2235021030237)	3980	BR227/2 28	759.24	156.80
	मिशन शक्ति (सामर्थ्य)- हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन (विपत्र कोड - 51-2235021030236)			198.90	10.79
राज्यांश की राशि					
2	मिशन शक्ति (सामर्थ्य)- हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन (विपत्र कोड - 51-2235021030333)	-	-	506.16	104.02
	मिशन शक्ति (सामर्थ्य)- हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन (विपत्र कोड - 51-2235021030332)			132.60	7.06
कुल (दो करोड़ अठत्तर लाख सडसठ हजार मात्र)					278.67

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS/SNA में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०- सं०सं०-03/यो०सं०क०-48/2023 के टिप्पणी पृष्ठ सं० 11/टि० पर दिनांक 24.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०- सं०सं०-03/यो०सं०क०-48/2023 के टिप्पणी पृष्ठ सं० 15/टि० पर दिनांक 08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाज

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 03/यो०सं०क०-48/2023/.....

/.....13...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस.,/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक03/यो०सं०क०-48/2023/.....

/.....13...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक03/यो०सं०क०-48/2023/.....

/.....13...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक03/यो०सं०क०-48/2023/.....

/...../दिनांक-

प्रतिलिपि -अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।